


13/11/23

पत्रावली पेश हुई। ^{प्राथीगण} अपीलायस अनुपस्थित
 उनके अधिकता ^{अप्रीगण} भी अनुपस्थित। ^{अप्रीगण} के
 ओर से शक्रीय अधिकता उपस्थित। ^{अप्रीगण}
 व उनके अधिकता की अंतराल में रुक-रुक कर
 कई आवाने लगवाई गई, उनके वाक्युड भी ^{प्राथीगण}
 अथवा उनके अधिकता अनुपस्थित रहे। शाम
 4.30 बजे पुनः अंतिम बार आवाने लगवाई वाक्युड
 भी ^{प्राथीगण} अथवा उनके अधिकता अनुपस्थित।
 अतः प्राथीगण अन्तर्गत धारा 64 भूमि अर्जन, पुनर्वापन
 और पुनर्बिध्यापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
 अधिनियम अधिनियम 2013. अडम हाजरी अडम परकी
 शकारीज किया जाता है अधिनियम न्यायालय की
 भूमि पत्रावली प्रेषित की जावे। पत्रावली के तहत शुरुआत
 होकर शा. 5 की


 जिला कलेक्टर
 वांस्तवाड़ा (राज.)

